समाजशास्त्र

20/5/20

सामाजिक मानवशास्त्र

BA Part II
Paper III

From:
Dr. Arun Kumar
Reader
Dept of Sociology
Shershah College
SASARAM.

आदिम समाजो मे न्याय-

आदिम समाजो मे आधुनिक समाजो की भाँति न्याय व्यवस्था - अदालत, न्यायाधीश वकील आदि नही होते। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन समाजो मे समाजो मे राजनीतिक संगठन का स्वरूप बहुत अस्पष्ट है। इन समाजो मे आधुनिक अर्थ मे राज्य, सरकार, न्यायालय आदि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। फलत: सामाजिक नियमो को तोडने वालो को दण्ड और कानून का पालन करने वालो के हितो की रक्षा व उनके लिए न्याय की व्यवस्था करने के लिए अन्य संगठन अपनाया जाता है और वह है रक्त सम्बन्धी समूह (Kin groups) अपराधी को दण्ड देने था न्याय की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व इसी रक्त सम्बन्धी समूह पर होता है जिसके सदस्य अपने को इस विषय मे सम्मिलित रूप से उत्तरदायी समझते हैं। अधिकतर जनजातियों का अपना एक वंशानुगत मुखिया होता है जो उस समूह की न्याय व्यवस्था को परिचालित करता है। इस न्याय व्यवस्था के अन्तर्गत बड़े-बूढो की एक समिति होती है। इस न्याय व्यवस्था उन जनजाति के अन्तर्गत पाए जाने रक्त सम्बन्धो समूहो के प्रतिनिधि होते हैं। इनका कार्य मुखिया को न्याय करने के काम मे परामर्श देना तथा अपराधी को सजा देने के विषय मे सहायता करना है।

आदिम समाजो मे न्याय व्यवस्था का यह स्वरूप अनेक कारणो से है, जैसे समाज का सरल और छोटा रूप रक्त-सम्बन्धी की प्रधानता, आमने सामने का सम्बन्ध बाहरी जगत से कम या नके समान सम्पर्क आदि। साथ ही यह बात भी है कि मौखिक परम्परा के रूप मे लिखित कानूनो या नियमो का पालन आदिम समाजो के लोग सामाजिक नियमो को इस कारण नही तोडते कि वैसा करने पर उसके नाते रिश्तेदारो उसकी हँसी उड़ाएगे और उसकी सामाजिक स्थिति गिर जाएगी। जहाँ कि प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे को घनिष्ठ रूप से जानता पहचानता है। और जहाँ रोज ही प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे को घनिष्ठ रूप से जानता-पहचानता है और जहाँ रोज ही प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के सम्पर्क मे आना होता है वहा किसी सामाजिक नियम को तोड़कर सबके लिए हँसी मजाक की एक वस्तु बन जाना सबसे बड़ी सजा है। आदिम सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था इसी एक तत्व के कारण बहुत सरल हो जाती है।

इन समाजो मे न्याय व्यवस्था के प्रमुख आधार इस प्रकार हैं।

सम्मिलित उत्तरदायित्व :- आदिम समाजो मे समूह से पृथक एक व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नही सकता इस कारण उसके समूह के लोग ही सम्मिलित रूप से उसके अपराध के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। यह भावना रक्त सम्बन्धी समूहो मे और भी दृढ़ है। आदिम समाजो मे पाए जाने वाले गोत्र-संगठन मे ही देखा जाए तो। एक गोत्र के सदस्य स्वयं को रक्त सम्बन्धी मानते हैं।

इस कारण यदि जीव के किसी सदस्य के प्रति कोई दुर्व्यवहार करता है उसे मारता पीटता या अन्य किसी भी प्रकार से उसके प्रति कोई अन्याय करता है तो उस जीव के सभी सदस्य उसका विरोध करने को तैयार हो जाते हैं।

अपराध का निर्धारण —

आदिम समाजों में अपराध का निर्धारण कई तरीकों से होता है कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं यह तय करने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों की गवाहियों की आवश्यकता सदैव नहीं होती। कई इस प्रकार के अपराधी होते हैं जिनके अपराध का निर्धारण अदृश्य जगत की दैवी शक्तियों पर इस विश्वास पर छोड़ दिया जाता है कि वे शक्तियां ही यह स्पष्ट करेंगी कि एक व्यक्ति वास्तव में अपराधी है या नहीं।

प्रमाण — न्याय करने के लिए अपराधी के सम्बन्ध में कोई न कोई प्रमाण अवश्य ही होना चाहिए। अपराध को प्रमाणित करने का दूसरा तरीका कठिन परीक्षा है कठिन परीक्षा लेने की भी अनेक रीतियां आदिम समाजों में प्रचलित हैं।

अपराधी संकल्प या इरादा — आदिम समाजों में आधुनिक समाज की भांति अपराधी इरादे को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। क्योंकि आदिवासियों में यह विश्वास प्रबल है कि अलौकिक शक्ति नाराज तब होती है जब अपराधी को दण्ड नहीं दिया जाता क्योंकि किसी भी नियम को तोड़ना पाप है। पापी को दण्ड न देना अलौकिक शक्ति के प्रति अन्याय करना है। जनजाति में हत्या के मामले में अपराधी इरादा अर्थहीन है इसलिए खून के बदले खून बहाना आवश्यक है।

दण्ड — आदिकालीन समाजों में दण्ड के स्वरूप भी अनेक हैं। इन समाजों में यह विचार अधिक लोकप्रिय है कि न्याय तब ही कायम रह सकता है जब जैसे को तैसा का सिद्धान्त अपनाया जाए। इस प्रकार खून के बदले में खून करने की व्यवस्था भी आदिम समाजों में बहुत है।

आदिकालिन समाज में अपराधी को अनेक प्रकार से दण्डित करने की रीति प्रचलित है अपराधी को कोड़े लगाए जाते हैं अंग भंग भी किया जाता है।

Prawi -
Dr Arun Kumar
Reader
Deptt of Sociology
Sherghati college
GAYA (Bihar).

Scanned by TapScanner